भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2240

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2014/14 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>गंभीर धोखाधड़ी के मामले</u>

2240. श्रीमती रीती पाठक :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री सदाशिव लोखंडे :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री विद्युत वरण महतो :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पंजीकृत कॉमोडिटीज स्टॉक एक्सचेंज में हुई धोखाधड़ी सहित गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा ऐसे गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए क्या नियामक/जांच तंत्र स्थापित किया गया है;
(ग) सरकार द्वारा उक्त मामलों के त्वरित निपटारे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने इस मंत्रालय से संबंधित बढ़ते हुए लंबित न्यायिक मामलों में कमी लाने हेतु कोई तंत्र स्थापित करने के लिए एक कुशल टीम का गठन किया है या किए जाने का विचार है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख) : कारपोरेट धोखाधड़ियों जैसे अपराधों का पता मुख्यतया शिकायतों की जांच के माध्यम से लगाया जाता है। कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन पहले से ही एक पृथक एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) है। इसकी स्थापना दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा गंभीर और जटिल प्रकृति की कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच

.....2/-

के लिए की गई थी। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2014 के दौरान मंत्रालय ने तथाकथित कारपोरेट धोखाधड़ियों के लिए 167 कंपनियों के संबंध में एसएफआईओ द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कंपनियों की संख्या
2011-12	13
2012-13	43
2013-14	82
2014-2015 (15.11.2014 तक)	29

मंत्रालय ने कमॉडिटिज स्टॉक एक्सचेंज में हुई तथाकथित धोखाधड़ियों की जांच के लिए धारा 209क के अधीन नेशनल स्पोट एक्सचेंज लिमिटेड, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है।

(ग) : कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच के संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बढ़े हुए प्रकटीकरण मानदंडों ताकि निवेशक कंपनियों से संबंधित सभी संगत सूचना प्राप्त कर सकें;

(ii) "धोखाधड़ी" को पहली बार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक मूल अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संदिग्ध कार्यकलाप शामिल हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विनिर्दिष्ट रूप से शामिल नहीं थीं;

(iii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक स्तर प्रदान किया गया है;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिसंपत्तियों की कुर्की और वापसी के प्रावधान शुरु किए गए हैं;

(v) उपबंधों के माध्यम से, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों का चक्रानुक्रमण भी शामिल है, लेखापरीक्षकों की जवाबदेही और स्वतंत्रता बढ़ाई गई है। इससे लेखापरीक्षा की वस्तुनिष्ठता में सुधार होगा और निवेशक इसे अधिक अच्छे से समझ पाएंगे।

(घ) और (ड.) : मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य के लिए संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार न्यायिक मामलों की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं तथा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु संबंधित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों से संपर्क कर रहे हैं।

*****